

2025/500

निर्णय
18.7.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
देवीलाल आदि बनाम नोरंगराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 352 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.06.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 04.07.2025 को पेश हो।	
03.7.2025	वकील वादीगण ने फर्दना - पत्र सिवाल पेकी - नोरांगराम पेकी करते पर प्रजावली को पेकी में लिखा गया। कुलाल फरिश्तेन उपदिपती प्रजावली से। ने जरिये वकील रजकाल दफा पेकी किया जिसे फरिश्तेन फरिश्तेन प्रजावली को पेश करते स्टेट जजमक आईन्दा तारीख 4.7.2025 को पेश हो।	
4.7.2025	कुलाल फरिश्तेन उपस्थिता/PU माहक अहकाम में पत्रावली प्रजावली - गहने स्टेट जजमक दिनांक 18.7.2025 को पेश हो	
18.7.2025	कुलाल फरिश्तेन उपदिपती स्टेट जजमक पत्रावली पेश हुमी अर्थात् प्रजावली का अहकाम लिखा गया प्रजावली पर उपलब्ध दिक्कत आई के आधार पर वक्द वकील प्रजावली लिखा जाता है। पूर्वी जजमक सहित निर्णय अलग के लिखाया जाकर शामिल फरिश्तेन प्रजावली प्रजावली नम्बर से क्रम की जाकर वाद तल्बिये तल्बिये जा एटा दाखिल दफतर हो।	